बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग
–: आदेश :–

संचिका संख्या–6 / वि0पत्रा0–24–02 / 2024 पटना, दिनांकः–

सुश्री मोनिका सुमन, तत्कालीन राज्य–कर सहायक आयुक्त (66वीं बैच), पटना पश्चिमी अंचल, पटना सम्प्रति राज्य–कर सहायक आयुक्त तेघड़ा अंचल, तेघड़ा द्वारा दिनांक–01.11.2024 से 21.06.2025 तक कुल 233 दिनों का उपार्जित / असाधारण अवकाश संबंधी आवेदन को सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय आदेश संख्या–1313 दिनांक–19.03.2025 के द्वारा अस्वीकृत किया गया है। उक्त अवधि के अंतर्गत दिनांक–01.11.2024 से 21.03.2025 तक की अवधि को अवकाश के रूप में स्वीकृत किये जाने हेतु समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–6 / वि0पत्रा0–24–02 / 2024 3759 पटना, दिनांकः– 23/09/26

प्रतिलिपि :– वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बेगुसराय / राज्य–कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना / राज्य–कर अपर आयुक्त (प्रशासन), दरभंगा प्रमडल, दरभंगा / अंचल प्रभारी, तेघड़ा अंचल, तेघड़ा एवं पटना पश्चिमी अंचल, पटना / नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना / एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना / वरीय प्रभारी, लेखा शाखा, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना एवं सुश्री मोनिका सुमन, राज्य–कर सहायक आयुक्त (66वीं बैच), तेघड़ा अंचल, तेघड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.09.2026

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग
बिहार, पटना।